न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 44/2025

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर निवासी माणक चौक पांच मन्दिर गुर्जरों का महौल्ला पुरानी टोंक राज0. ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 22.07.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1. खसरा नं० 396/2 व 396/3 की तरमीम मूल लट्ठा शीट की प्रमाणित फोटो प्रति उपलब्ध करवाने बाबत।
2. खसरा नं० 545/396 की तरमीम नक्शा शीट की प्रमाणित फोटो प्रति उपलब्ध करवाने बाबत ।
3. आराजी खसरा नं0 546/396 रकबा 0.1265 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बोरखण्डीखुर्द पटवार हल्का सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज. में स्थित है। जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। खसरा न. 546/396 के पूर्व खसरा नं. 396/3 दर्ज थे, जिसका अंकन जमांबदी सम्वत् 2059—2062 में है। उक्त खसरा नं. की तरमीम नक्शा शीट की प्रमाणित फोटो प्रति उपलब्ध करवाने बाबत।
4. पुराने खसरा नं0 396/2 व 396/3 तथा नये खसरा नं. 545/396 व 546/396 में दर्ज दोनों खसरो का अंकन ऑनलाईन किस आधार और विभागीय नियम पर किये गये रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 846 दिनांक 19.05.2025, 975 दिनांक 03.06.2025 व 1099 दिनांक 17.06.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 605 दिनांक 30.06.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन अति0 जिला कलेक्टर, टोंक श्री रामरतन सौंकरिया के ऑनलाईन पोर्टल पर ना कर पूर्व अति0 जिला कलेक्टर श्री मुरारीलाल शर्मा के ऑनलाईन पोर्टल पर किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है, जिसके संबंध में प्रार्थी को पत्र क्रमांक 606—07 दिनांक 30.06.2025 से सूचित करते हुए तहसीलदार पीपलू को भी पत्र क्रमांक 606—07 दिनांक 30.06.2025 से प्रार्थी को

जिला कलेक्टर
टोंक

नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया है। प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू को पत्र कमांक 1192 दिनांक 02.07.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू जिला टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलेक्टर टोंक, लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक